आखर हिंदी पत्रिका ; e-ISSN-2583-0597 खंड 3/अंक 2/मार्च 2023
Received: 17/02/2023; Accepted: 21/02/2023; Reviewed: 07/03/2023; Published: 24/03/2022

छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका का अध्ययन

पुरूषोत्तम कूमार साहू [1], डॉ.अविनाष कुमार लाल [2]
1.शोधार्थी, 2. विभागाध्यक्ष
बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर, शासकीय महाविद्यालय,आरंग
जिला - रायपुर (छ.ग.)

पुरूषोत्तम कूमार साहू, डॉ.अविनाष कुमार लाल, **"छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका का अध्ययन "**, आखर हिंदी पत्रिका, खंड3/अंक 2/मार्च 2023, (148-159)

अनुरूपी लेखक: पुरूषोत्तम कूमार साहू**,** राजनीति विज्ञान,बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर,शासकीय महाविद्यालय,आरंग जिला - रायपुर (छ.ग.)

साराशं - भारत गांवो का देश है । भारत की उन्नति और प्रगति गांवों के विकास पर निर्भर है । भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भली-भांति परिचित थे । अतः हमारे संविधान में यह निर्देश दिया गया कि "राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और वे शक्तियाँ प्रदान करेगा जिससे कि वे (ग्राम-पंचायत) स्वशासन की प्रत्येक इकाई के रूप में कार्य कर सकें । वस्तुतः हमारा जनतंत्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन कार्यों में सहयोग करें और अपने पर राज करने की जिम्मेदारी स्वयं लें। दूसरे शब्दों में ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज ही एक मात्र उपयुक्त योजना है । पंचायते ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है। लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना का ध्येय और राष्ट्र के विकास का लक्ष्य भारत के संविधान निर्माता के मन विद्यामान आकांक्षाओं की एक झलक हमें भारत के संविधान में देखने को मिलती भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उन्होंने नीति निर्देशक तत्त्वों में ऐसी बातो का समावेश किया जिससे भारतीय लोगो के जीवन में सुख, समृद्धी और विकास हो। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों का मार्ग दर्शन करने के लिए इन सिद्धांतो की व्यवस्था की गई। ये ऐसे सिद्धांत है जिन्हें लागू करने से भारतीय लोगो के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन का विकास होने और सार्वजानिक कल्याण

होने की आशा की गई है । नीति निदेशक तत्व एक आदेश पत्र है जिनको राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कोई भी कानून बनाते समय और लागू करते समय ध्यान में रखना उनका कर्तव्य समझा गया। लेकिन यदि सरकार उन्हें लागू नही करती तो कानूनी तौर पर उसे बाध्य नही किया जा सकता । संविधान में उल्लेखित कुछ निदेशक सिद्धांत महात्मा गांधी के सिद्धांतो से प्रभावित है उसमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है (1) अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य पंचायतों का संगठन करेगा, उन्हे इतने अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की जायेगी कि वे स्वायत्त संस्था के रूप कार्य कर सके। (2) दुर्बल वर्गो, पिछ़डी व निर्बल जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितो की विशेष रूप से उन्नति का प्रयास राज्य करेगा।

शब्द कुंजी - भारत, गांव, लोककल्याणकारी राज्य, स्वशासन, शक्तियाँ, निर्बल जातियों, उन्नति, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, आदेश पत्र, सिद्धांत, जनतंत्र, उन्नति, अनुच्छेद

रूपरेखा:-

- पंचायती राज की संकल्पना एवं 73 वां संविधान संशोधन
- ग्राम पंचायत का अर्थ एवं भारत में पंचायतों की संरचना
- पंचायती राज व्यवस्था और प्रमुख प्रावधान
- पंचायतों के कार्य एवं विभिन्न योजनाएं
- पंचायती राज व्यवस्था की समस्याऐं एवं उसका समाधान
- संदर्भ सूची

पंचायती राज की संकल्पना:-भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है । प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत ही करती थी परन्तु अंग्रेजी हुकुमत के जमाने में पंचायतें धीरे - धीरे समाप्त हो गयी और सब का प्रान्तीय सरकारें करने लगी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ग्राम पंचायत की स्थापना की ओर विशेष ध्यान दिया गया । पं. नेहरू को लोकतांत्रिक तरीके में अटूट विश्वास था। सन् 1952 में उन्हीं के पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ । यह समझा गया कि इस कार्यक्रम मे जनता की ओर से सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा।

73वां. संविधान संशोधन अधिनियम 1993:- इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग 9 तथा नई अनुसूची, अनुसूची 11 जोड़ी गई है और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन के आधार पर पंचायती राज के संबंध में प्रमुख रूप से निम्न व्यवस्थाएं की गयी है।

73 वें. संविधान संशोधन के बाद

भारत में लोकतांत्रिक शासन की संस्थाऐं

73 वें. संविधान के बाद लोकतांत्रिक शासन की संस्थाऐं

देश स्तर पर	राज्य स्तर पर	जिला स्तर
संसद	विधानमण्डल - विधानसभा	ग्राम स्तर पर-ग्राम सभा
		लोगो की संसद के रूप में है
	नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	नगर निगम	जिला पंचायत
	नगर पालिका	जनपद पंचायत
	नगर पंचायत	ग्राम पंचायत

विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर:-

- एक स्तरीय (केवल ग्राम पंचायतें):- केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर।
- द्विस्तरीय (ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति):- असम, कर्नाटक, ओड़िसा, हरियाणा, दिल्ली, पाण्डुचेरी।

- त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्):- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा छत्तीसगढ़।
- चार स्तरीय (ग्राम पंचायत, अँचल पंचायत, आँचलिक परिषद्, जिला परिषद्):- पश्चिम बंगाल।
- जनजातीय परिषद् मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम।

ग्राम पंचायत का अर्थ:- ग्राम के दैनिक जीवन में उपस्थित होने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति क लिए एक कार्यकारिणी के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी कार्यकारिणी को ही " ग्राम पंचायत का नाम दिया गया है"।

साधारण प्रश्नों के एक समूह का नाम है, जो एक अनुसंधानकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने-सामने से संबंधो द्वारा पूछे जाते है या भरे जाते है।"

ग्राम पंचायत की परिभाषा (अनुच्छेद 243):-

पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार गांवों के लोगो को अधिकार सौंपना चाहिए उनको काम करने दे, चाहे वे हजारों गलतियां करे इससे घबराने की जरूरत नही पंचायतों को अधिकार दो।

ग्रामसभा (अनुच्छेद 243(A)):-

संविधान के (अनुच्छेद 243A) में ग्रामसभा का प्रावधान है जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत् गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्रामसभा के सदस्य होते हैं । यह ग्राम स्तर के सभी कार्य करती है जो राज्य विधानमण्डल करता है । ग्रामसभा की बैठक तो सामान्यतः वर्ष में दो बार होती है।

पंचायतों का गठन (अनुच्छेद 243(B)):-(अनुच्छेद 243B) पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्य स्तर की पंचायत का गठन नही किया जाएगा ।

- सबसे निचली स्तर पर ग्रामसभा और ग्राम पंचायत
- मध्यवर्ती पंचायत
- जिला पंचायत - जिला स्तर पर

ग्राम पंचायतों की संरचना (अनुच्छेद 243(C)):-

अनुच्छ़ेद 243C के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा मध्वर्ती पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतो द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। चुनाव की प्रक्रिया राज्यों द्वारा निर्धारित रीतियों तथा कानूनों के द्वारा की जाएगी। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है, जहां मध्यवर्ती पंचायत नही है वहां जिला की सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा।

स्थानों का आरक्षण (अनुच्छ़ेद 243(D)):-

(अनुच्छ़ेद 243) के अनुसार प्रत्येक पंचायतों मे अनुसूचित जातियों/जनजातियों व पिछ़डे वर्ग तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत कि सम्पूर्ण जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत के कार्यकाल (अनुच्छ़ेद 243(E)):-

संविधान के (अनुच्छ़ेद 243) में पंचायतों के लिए कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है, प्रत्येंक पंचायत अपने प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी तथा उससे पहले भी ग्राम पंचायत को भंग किया जा सकता है, उस स्थिती में चुनाव 6 माह में करने की आवश्यकता होती है। अगर ग्रामसभा निर्धारित समय किन्तु कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष बचे हो तो चुनाव करायें जाएंगे तथा 6 माह से कम समय हो तो चुनाव नही कराएं जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए योग्यताएं (अनुच्छ़ेद 243(F)):-

कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप मे चुना जा सकता है, यदि वह राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप मे चुने जाने के लिए योग्य है, परन्तु आयु की अपेक्षाएं नही रखता हो क्योंकि नगरपालिका के लिए आयु 21 वर्ष है न कि 25 वर्ष।

ग्राम पंचायत के पदाधिकारी:-ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उपप्रधान होगा, जो क्रमशः इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगें। प्रधान ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ग्राम पंचायत की बैठके बुलाने, बैठक में की जाने वाली कार्यवाही का नियंत्रण रखने व ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का कार्य उसी के द्वारा किया जाता है। प्रधान की अनुपस्थिति में ये कार्य उपप्रधान करता है।

पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व (अनुच्छ़ेद 243(G)):-

राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सकें। जिससे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाऐं बना सकें और उन्हें क्रियान्वित कर सकें और इनके अनुसार अनुसूची में वर्णित सभी कार्यो को पंचायतो को क्रियान्वित करना है।

कर लगाने की शक्ति (अनुच्छेद 243(H)):- राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा ऐसे कर जो शुल्क, पथकर, फीसे, उदयग्रहित, संग्रहित तथा विनियोजित करनें का पंचायत को अधिकार दिया गया है तथा राज्यों के द्वारा अनुदान और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यो के लिए पंचायत निधि कोष का गठन करना।

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 243 (I)):- इसके अंतर्गत राज्य का राज्यपाल प्रत्येंक 5 वर्ष की अवधि पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोंकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो राज्यापाल को अपनी सिफारिश देगा। जिसे राज्यपाल विधानमण्डल में रखवाएगा।

ग्राम पंचायत के कार्य:-

पंचायत के अनिवार्य कार्य:-

1. पेयजल की व्यवस्था करना
2. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था।
4. सड़के व नालियों को बनवाना।
5. हाट व बाजारों का प्रबन्ध करना।
6. सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना।
7. महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यो का प्रबन्ध करना।
8. लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना।
9. कृषि एवं भूमि का विकास करना।
10. ग्रामीण विकास के कार्य को सहयोग प्रदाप करना।

- **पंचायत के विकासात्मक कार्य:-** पंचायतों के आर्थिक विकास से जुड़े कार्यों को 11 वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है –

1. भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन करना।
2. सिंचाई का प्रबन्ध करना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता प्रदान करना।
4. लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना।

5. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।

ग्राम पंचायत की समितियां:-

नियोजन एवं विकास समिति:- योजना निर्माण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन, कृषि, पशुपालन आदि।

- ❖ शिक्षा समिति:- प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य।
- ❖ स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति:- परिवार कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का संरक्षण।
- ❖ निर्माण कार्य समिति:- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचना।
- ❖ प्रशासनिक समिति:- प्रशासनिक सम्बन्धी सभी कार्य।
- ❖ जल प्रबन्धन समिति:- पेयजल तथा नलकूप सम्बन्धी कार्य।

ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोत:-

- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।
- स्थानीय कर।
- मण्डियों से प्राप्त फीस।
- दान व चन्दे।
- जिला पंचायत द्वारा दिया गया तद्र्थ अनुदान।
- क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए कर।
- घाटों तथा मेलों से प्राप्त आय।
- सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई धनराशि।
- किसी अदालत की आज्ञा से गांव निधि में जमा राशि।

छ.ग. में प्रधानमंत्री जी की प्रमुख योजनाएं:-

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
2. प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना।

6. स्वच्छ भारत मिशन।
7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
8. प्रधानमंत्री जन धन योजना।
9. मिशन स्मार्ट सिटी।
10. स्किल इंण्डिया।
11. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
12. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
13. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।

छ.ग. शासन की प्रमुख योजनाएं:-

1. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना।
2. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना।
3. मुख्यमंत्री चरण पदुका योजना।
4. मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना।
5. सरस्वती साईकिल योजना।
6. हमर छत्तीसगढ़ योजना।
7. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना।
8. छ.ग. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना।
9. वनभूमि अधिकार पटटा।
10. सौर सुजला योजना।

11.सड़क विकास।

ग्राम पंचायत में विकास योजनायें:-

1. रोजगार गारंटी योजना:- प्रत्येंक व्यक्ति जो 18 वर्ष के ऊपर है और जो बेरोजगार हो उनके लिए सौ दिनों तक रोजगार गारंटी योजना प्रत्येक गांवो मे चलाया जाता है।

2. लोक सुराज अभियान योजना:- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येंक व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को लोक सुराज अभियान के लोगो से व्यक्त कर अपनी समस्या का समाधान पाते है।

3. कौशल विकास योजना:- इस योजना के अंतर्गत 10 वीं से आगे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन को एक सही दिशा दिलाते है। कौशल विकास ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहे है, कि वो विद्यार्थी जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण आगे बढ़ पा रहे है वो इस योजना का लाभ लेकर आगे बढ़ रहे है।

4. आंगनबाड़ी केन्द्र योजना:- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र योजना चलायें जाते है। इस योजना में 0 से 5 वर्ष के बच्चों का सही पालन पोषण कैसे किया जाता है इसका सुझाव देते है व कुपोषित बच्चों का सही इलाज कराते है।

5. **इस योजना के अंतर्गत निम्न अभियान चलाये जाते हैं -**

   किशोरी योजना:- इस योजना के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को महीने में 2 शनिवार को रेडी टू इट फूट और कुछ ज्ञान वर्धक प्रशिक्षण दिया जाता है।

   शिशु संरक्षण / कुपोषित बच्चों हेतु योजना:- इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो कुपोषित है, उन सभी को सही आहार दिया जाता है और उन के सही उपचार हेतु सलाह दिया जाता है।

   महतारी योजना:- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है।

   महिला एवं बाल विकास समिति योजना:- इस योजना में महिलाओं एवं बच्चों के विकास तथा उनकी संरक्षण हेतु सुझाव दिया जाता है।

प्राथमिक पाठशाला से माध्यमिक शालाओं के बच्चों के लिए मध्यान भोजन योजना:- प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाओं में अध्ययन कर रहे बच्चों के लिए दोपहर में मध्यान भोजन दिया जाता है, जो योजना भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लागू किया गया है, व देख-रेख भी ग्राम पंचायत के सदस्यगण ही करते है।

पेंशन योजना:- इस योजना में बुजुर्गों के लिए और विधवा तथा विकलांग बच्चों को हर महीने पोषण दिया जाता है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये योजना भी आते है।

आवास योजना:- भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला आवास योजना प्रत्येंक गांव में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति (जो आर्थिक) रूप से सक्षम नही है। उनके लिए आवास प्रदान किया जाता है।

उज्ज्वला योजना:- भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाया जाता है। जिसमें हर घर के महिलाओं को अपने रसोई के लिए गैस व चूल्हा प्रदान किया जाता है।

बी.पी.एल. कार्ड के अंतर्गत राशन प्रदाय योजना:- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह हर प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलों चावल प्रदान किया जाता है, 1 किलो शक्कर, मिट्टी तेल और निःशुल्क 1 पैकेट नमक प्रदान किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन :-स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन में गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके है। भारत सरकार ने शौच निर्माण में सहायता प्रदान किया हैं।

पंचायती राज व्यवस्था की समस्याएं एवं उसका समाधान

1. 11वी अनूसची ने ग्राम पंचायत को 29 कार्य सौपें है लेकिन इनके स्वरूप का निर्धारण राज्य सरकार करती है इसमे लचीलापन लाने की आवश्यकता है।

2. राज्यों ने पंचायतों को स्वविवेक से काम करने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखें है इसे दूर करनी चाहिए।

3. पंचायती राज के सामने समस्या वित्तीय स्त्रोतों का अभाव है। उनके पास स्वंय के आय स्त्रोत नगण्य है और उन्हें राज्य और केन्द्र के अनुदान की बैसाखी पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य वित आयोग के गठन के बाद पंचायतों को इस दिशा में राहत जरूर मिली है लेकिन उनकों सौपे गये कार्य-दायित्व की पूर्ति के लिय यह माध्यम भी अपर्याप्त है।

4. अधिकांश प्रतिनिधियों को अपने पद का महत्व उसके कार्य-दायित्व आदि की जानकारी नही है, प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।

5. अशिक्षा आदि के कारण जनता के भी यही हालात है, शिक्षा का व्यापक रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए।

6. पंचायतों के चुनाव में भी राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप रहता है इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है।

7. गांवों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ने जातिवाद को उभार दिया है। निर्वाचित पंचायतें भी अपने काम में जातिवादी संकीर्णताओं से ग्रस्त दिखायी देती है।

8. आरक्षण का प्रावधान पंचायतों को अधिकाधिक प्रतिनिधिक बनाने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन व्यवहार में महिला सदस्य की आड़ में उनके पति देवर या ससुर पंचायत के कामों में दखलदांजी करते है। दलित जातियों के प्रतिनिधियों की आवाज समाज के अग्रणी सर्वणों के आगे दबी रह जाती है।

9. पंचायत प्रतिनिधि और जनता दोनों वर्तमान पंचायती प्रणाली के स्वरूप से काफी हद तक अनभिज्ञ है, ऐसे में वे इसका सही उपयोग कर लाभ कैसे उठा पाएंगे।

10.पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कार्यो के संबंध में वस्तुनिष्ठ और नियमित प्रशिक्षण का अभाव है, जिसे दूर नयी तकनीकि के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए।

11.समाज के प्रभावशाली लोग और राजनेता गण पंचायतों पर दबाव डालकर स्वार्थसिद्धि में उनका दूरूपयोग करते हैं, उन्हे स्वतंत्रता देनी चाहिए।

12.गांवों के सामाजिक सेवाओं का स्तर बढाकर जनता और प्रतिनिधि दोनों की पंचायतीराज में भूमिका उन्नत की जा सकती है।

13.पर्याप्त वित्तीय शक्तियां और स्त्रोत मुहैया कराये जाना जरूरी है। पर्याप्त वित्त के बिना पंचायतें लकवाग्रस्त् है। पंचायतों को न सिर्फ उचित कार्य और अधिकार देने की जरूरत है अपितु उन्हे इनके सम्पादन के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उतनी जरूरी है।

संदर्भ सूची-

1. अरूण कुमार " विश्व के प्रमुख संविधान" साहित्य भवन पब्लिकेशन 2015 ist 117 & 130A

2. डॉ. फड़िया बी. एल " भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन 2016 ist 333 & 336A

3. डॉ. जौहरी जे.सी. "भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन 2015 ist 223 & 230A

4. http://hindi.livelaw.in, vasuconcept Ankinta Dhaka.

5. डॉ. जैन पुखराज ''राजनीति विज्ञान'' साहित्य भवन पब्लिकेशन 2017 ist 323 & 330A

6. शर्मा सी.पी ''लोक प्रशासन एवं शोध प्रविधि पायनियर पब्लि'kर 2020, ist 323 & 330A

7. डॉ. शर्मा रश्मि ''भारत में स्थानीय स्वशासन साहित्य भवन पब्लिकेशन 2017, ist 28 & 30A

8. सिंह सुनील कुमार ''सामान्य ज्ञान'' लूसेन्ट पब्लिकेशन, ist 58 & 60A

****